

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-535/2012/जयपुर
2. अपील संख्या-536/2012/जयपुर
3. अपील संख्या-537/2012/जयपुर

मैसर्स जयपुर टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज,
सी-20, भगवान दास रोड़, जयपुर.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

7. अपील संख्या-1168/2012/जयपुर
8. अपील संख्या-1169/2012/जयपुर
9. अपील संख्या-1170/2012/जयपुर

4. अपील संख्या-538/2012/जयपुर
5. अपील संख्या-539/2012/जयपुर
6. अपील संख्या-540/2012/जयपुर
10. अपील संख्या-1171/2012/जयपुर
11. अपील संख्या-1172/2012/जयपुर
12. अपील संख्या-1173/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जयपुर टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज,
सी-20, भगवान दास रोड़, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.कुमार
अभिभाषक।

.....व्यवहारी की ओर से.

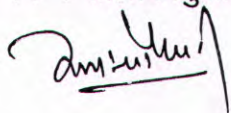
श्री रामकरण सिंह
उप-राजकीय अभिभाषक।

..... राजस्व की ओर से.

दिनांक : 05.04.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 535 व 540/2012 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1168 व 1173/2012 विभाग/राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-III, वृत्त-जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये आरोपित कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कतिपय बिन्दुओं पर प्रकरण को निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा तथा आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध विभाग/राजस्व द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है:-





लगातार.....2.

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	विवादित कर	ब्याज	शास्ति अन्तर्गत धारा 61
535/2012	232/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2006-07	9,18,835	4,59,417	—
536/2012	229/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2006-07	13,306	6,653	—
537/2012	233/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2006-07	28,17,497	10,70,649	—
538/2012	230/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2007-08	19,143	7,274	—
539/2012	234/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2008-09	5,21,205	1,35,513	—
540/2012	231/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2008-09	14,519	3,775	—
1168/2012	232/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2006-07	—	—	18,37,670
1169/2012	229/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2006-07	—	—	26,612
1170/2012	233/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2006-07	—	—	56,34,994
1171/2012	230/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2007-08	—	—	38,286
1172/2012	234/अपील्स-II/सीएसटी	02.11.2010	2008-09	—	—	10,42,410
1173/2012	231/अपील्स-II/आरवीएटी	02.11.2010	2008-09	—	—	29,038

- उक्त समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जायेगी।
- प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 02.02.2010 को किया गया। व्यवहारी ग्रे फैब्रिक एवं टॉवलिंग फैब्रिक का विनिर्माता व विक्रेता है। फर्म के सर्वेक्षण के दौरान कुछ लूज पेपर्स एवं विक्रय बिल ऐसे मिले जिनका मौके पर सत्यापन नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहित रेकार्ड का लेखा पुस्तकों से सत्यापन वास्ते कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। रेकार्ड की ऑडिट पर कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि व्यवहारी द्वारा कर योग्य टॉवल की बिक्री को भी 100 प्रतिशत कॉटन टैरी फैब्रिक/टॉवलिंग फैब्रिक की करमुक्त बिक्री किया जाना घोषित किया गया है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्षों में बिक्री को कर योग्य मानकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.11.2010 द्वारा कर व ब्याज का आरोपण किया गया तथा व्यवहारी द्वारा करमुक्त बिक्री घोषित किये जाने के कारण उसे कर का अपवंचन मानकर शास्ति का आरोपित की गयी। व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर तथा विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर उक्त अपीलें पेश की गई हैं।
- उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के मियाद अवधि से परे जाकर अविधिक आदेश पारित किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए बिक्रीत टॉवलिंग फैब्रिक के संबंध में जांच कर कर व ब्याज के आरोपण, आईटीसी के मुजरा, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार बिलों में भाड़ें की

लगातार.....3.

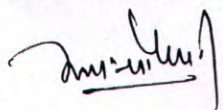
राशि अलग से वसूल की गयी है या नहीं, बकाया घोषणा-पत्र फार्म-H इत्यादि के संबंध में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये था।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह प्राथमिक आपत्ति प्रकट की गयी है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 01.12.2011 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये हैं, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 19.11.2013 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिया है तथा उक्त आदेश दिनांक 19.11.2013 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें दिनांक 27.01.2015 को निर्णित की जा चुकी हैं। वर्तमान अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील "निष्प्रभावी" (Infructuous) हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :-

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहा. वाणि. कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
- (iii) सीटीओ, आई बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) सीटीओ बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत समस्त अपीलों को निष्प्रभावी होने के आधार पर अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

- 7 राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने से ही अपीलें निष्प्रभावी (Infructuous) नहीं हो जाती हैं। राजस्व/विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का एवं शास्ति की राशि जो अपास्त की गई है उसको पुर्नस्थापित किया जाकर राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

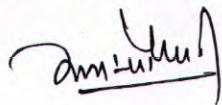



लगातार.....4.

8. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों के संबंध में यह तर्क रहा है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखापुस्तिकाओं में दर्ज कर किसी संव्यवहार को छिपाया नहीं गया है। अतः शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार किये जाने का निवदेन किया गया।
9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
10. रिकॉर्ड से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 01.12.2011 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2013 को आदेश पारित कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.11.2013 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें दिनांक 27.01.2015 को निर्णित की जा चुकी है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त बनाम मोहित ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण (25 टैक्स अपडेट 59) में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है। जिसमें प्रतिप्रेषण सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने पर कर बोर्ड द्वारा अपील निष्प्रभावी माने जाने को विधिसम्मत माना है। उक्त उल्लिखित निर्णय का संदर्भित निर्णयांश निम्न प्रकार है :-

"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

11. वर्तमान अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2011 की अनुपालना में दिनांक 19.11.2013 को आदेश पारित कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश दिनांक 19.11.2013 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें दिनांक 27.01.2015 को निर्णित

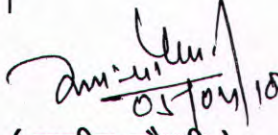


लगातार.....5.



की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें "निष्प्रभावी" (Infructuous) हो जाती है। अतः व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें "निष्प्रभावी" (Infructuous) होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व/विभाग की ओर से प्रस्तुत समस्त अपीलें "निष्प्रभावी" (Infructuous) होने के कारण अस्वीकार की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष